झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या – 62/2026

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में दायर अवमाननावाद (Cont case) No.- 783/2026 में पारित अन्तरिम न्यायादेश तथा परिषद् की विज्ञप्ति संख्या– 24/2026 के क्रम में एतद् द्वारा झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 हेतु आवेदित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा **दिनांक 01.11.2026 (रविवार)** को राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :–

परीक्षा की तिथि	परीक्षा का स्तर	परीक्षा का समय
01.11.2026 (रविवार)	**उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 06 से 08)**	प्रथम पाली– **पूर्वाह्न 9:30 बजे से 12:00 बजे** तक
	प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05)	द्वितीय पाली– **अपराह्न 2:00 बजे से 4:30 बजे** तक

2) संबंधित अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र (Admit card) दिनांक 15.10.2026 से परिषद् के वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाक या किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा।

3) परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों को **परीक्षा प्रारम्भ होने से दो घण्टे पूर्व पहुँचना अनिवार्य** होगा। प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली के **परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व** परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बन्द कर दिया जायेगा। अतः परीक्षार्थी ससमय परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रुप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

4) सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र (आधार कार्ड, मूल प्रति में) लाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण** परीक्षा केन्द्र में वर्जित होगा।

5) पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करनेवाले दिव्यांग अभ्यर्थी, यथा– दृष्टि बाधित दिव्यांग, सी0पी0 (Cerebral Palsy) दिव्यांग एवं दोनों हाथों से **दिव्यांग अभ्यर्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय** प्रदान किया जायेगा एवं वे निम्नांकित शर्तों के अधीन श्रुति लेखक (Scribe) प्राप्त कर सकते हैं :–

(क) ऐसे अभ्यर्थी अपनी दिव्यांगता के संबंध में सिविल सर्जन/जिला शल्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (दिव्यांगता के प्रतिशत के साथ) एवं आवेदन को परीक्षा तिथि से पूर्व संबंधित जिला के **जिला शिक्षा पदाधिकारी** कार्यालय में जमा करेंगे।

(ख) प्राप्त आवेदन के आधार पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार अनुमान्य होने की स्थिति में अधिकतम वर्ग नवम् में अध्ययनरत् होने का प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त वर्ग के विद्यार्थी को श्रुति लेखन हेतु उन्हें अधिकृत करेंगे और उसकी सूचना केन्द्राधीक्षक को देते हुए परिषद् को भी सूचित करेंगे।

6) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी **आवश्यक दिशा–निर्देश परिषद् के आधिकारिक वेबसाइट** पर ही उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी उक्त दिशा–निर्देश का अवलोकन कर अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। दिशा–निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

JAC/JTET/2406/24-Secy/915/26

Dt : 28.09.2026

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।